[2002] 1 उम॰ नि॰ प॰ 140

# सुरेश राय और अन्य

बनाम

# बिहार राज्य

30 मार्च, 2000

न्यायमूर्ति एस॰ सगीर अहमद, न्यायमूर्ति ए॰ पी॰ मिश्र और न्यायमूर्ति वाई॰ पी॰ सभरवाल

**दंड संहिता, 1860– धारा 302 और 34– हत्या–ग्रुप प्रतिद्वन्द्विता– मिथ्या आलिप्त किया जाना –प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का एक दूसरे से और मृतक से भी निकट संबंध होना तथा अभियुक्त – अपीलार्थियों से शत्रुता रखना – हत्या की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे अन्वेषक अधिकारी को प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की घटना के समय उपस्थिति की बाबत कोई साक्ष्य न मिलना - मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में हमलावरों के नाम स्पष्ट न किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा यह कथन करना कि अभियुक्तों के कहने पर वे मृतक को अकेला छोड़कर चुपचाप घटनास्थल से चले गए थे, घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति को अविश्वसनीय बनाता है –, संपूर्ण अन्वेषण गढ़ा हुआ होने पर तथा इत्तिला देने वाले और अन्वेषक अधिकारी की सामूहिक रिष्टि के आधार पर अभियुक्त – अपीलार्थियों को मामले में मिथ्या आलिप्त किए जाने पर अपीलार्थी दोषसिद्ध किए जाने के दायी नहीं हैं ।**

प्रस्तुत मामले में अपीलार्थियों को, मृतक की तारीख 2 जून, 1984 को धमायूं चौड़ ग्राम, गढ़ चाक सीमा, जिला समस्तीपुर में हत्या करने के लिए दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34 के अधीन अपराधों के लिए आरोपित और विचारण किया गया था । एक अपीलार्थी प्रदीप राय को इसके अतिरिक्त अपने सह-अपीलार्थियों, सुरेश राय और जितेन्द्र प्रसाद को शंभू राय की हत्या करने का निदेश देने के द्वारा अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड संहिता, 1860 की धारा 109/302 के अधीन आरोपित किया गया था । अपीलार्थी सुरेश राय को देशी पिस्टल, जिससे उसने शंभू राय पर दो बार गोली चलाई थी, का कब्जा रखने के लिए आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी आरोपित किया गया था । अपीलार्थियों को उपर्युक्त अपराधों के लिए द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, समस्तीपुर ने तारीख 15.4.1988 को पारित किए गए निर्णय और आदेश द्वारा दोषसिद्धि किया था और दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34 के अधीन अपराधों के लिए आजीवन कारावास का दंडादेश दिया था । उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील तारीख 5 मई, 1998 को खारिज की गई थी । जिसके विरुद्ध यह अपील फाइल की गई है । अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित**– जो कुछ निश्चित है वह यह है कि अन्वेषक अधिकारी ने पुलिस थाने पर सूचना प्राप्त की थी कि किसी की धमायूं चोड़ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । यह सूचना अन्वेषक अधिकारी ने सामान्य डायरी में अभिलिखित की थी जिसकी प्रति दुर्भाग्यवश विचारण में प्रस्तुत नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अन्वेषक अधिकारी ने अपने कथन में यह कथन किया है कि यह तथ्य कि किसने सूचना दी थी, केस डायरी में वर्णन नहीं किया गया है । अन्वेषक अधिकारी ने उसके नाम के संबंध में अपनी जानकारी न होने का अभिवाक् किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह स्वीकार किया कि व्यक्ति जिसने सूचना दी थी, उसने हमलावर का नाम नहीं बताया था । जो कुछ और निश्चित है वह यह है कि यद्यपि अपराध के किए जाने की सूचना अन्वेषक अधिकारी द्वारा पूर्वाह्न 8.15 बजे दी गई थी, हमलावर का नाम स्पष्ट नहीं किया गया था । यदि अन्वेषक अधिकारी के इस कथन की शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) के कथन को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है कि वह पुलिस थाने पर पूर्वाह्न् 7.00 बजे गया था और अन्वेषक अधिकारी से मिला था और उसे मृतक शम्भू राय की हत्या के संबंध में सूचना दी थी, तो यह स्पष्ट होगा कि उस समय हमलावर का नाम प्रकट नहीं किया गया था । इसी भांति, अभियोजन साक्षी-10, भी हमलावर का नाम नहीं जानता था और इसलिए वह पुलिस थाने पर अन्वेषक अधिकारी को नाम बताने की स्थिति में नहीं रहा होगा । यह अभिलेख पर के साक्ष्य की अतिरिक्त रूप से संवीक्षा किए जाने पर स्पष्ट होता है जो यह इंगित करता है कि शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) या, शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और राम नारायण (अभियोजन साक्षी-17) घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे । (पैरा 7)

परिस्थितियां स्पष्ट रूप से यह इंगित करती हैं कि घास काटी नहीं गई थी और न ही यह बोरियों में भरी गई थी और इसलिए कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी यथा, शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) घटनास्थल पर उस समय उपस्थित नहीं था जब शम्भू राय की हत्या की गई थी । (पैरा 11)

इन तीन व्यक्तियों, जिन्होंने अपने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया है, के शरीर पर क्षतियों का अभाव तीनों द्वारा यह कहते हुए स्पष्ट किया गया है कि हमलावरों ने यह कहा था कि वे शम्भू राय की हत्या करने को आए थे जिससे कि अवध राम के परिवार को समाप्त किया जा सके । शेष व्यक्तियों, यथा शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) शम्भू राय को अकेला छोड़कर चले गए थे, जिसे सुरेश राय द्वारा गोली मारी गई थी और तब उसके सह-अपीलार्थियों द्वारा छुरे से आघात किए गए थे । यह अविश्वसनीय है कि तीन व्यक्ति जो मृतक के साथ घास काट रहे थे, चुपचाप वहां से चले जाएंगे, जिससे कि अपीलार्थियों द्वारा शम्भू राय की हत्या करना आसान हो सके । उनका आचरण अप्राकृतिक है । (पैरा 14)

इसलिए मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि शम्भू राय की हत्या की सूचना पुलिस को तारीख 2.6.1984 को पूर्वाह्न 7.00 बजे दी गई थी जो सामान्य डायरी में भी दर्ज किया गया था और यह इस रिपोर्ट के आधार पर था कि अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल की ओर गया था जहां उसने शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) की घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थिति का कोई साक्ष्य नहीं पाया था क्योंकि "खुर्पियां" या बोरियों में काटी हुई घास का इकट्ठा किया जाना घटनास्थल पर उनकी विद्यमानता द्वारा साक्ष्यित नहीं था । मृत्यु-समीक्षा करने और मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने, शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) का कथन अभिलिखित किया था और उस कथन में अपीलार्थियों के नाम सम्मिलित किए गए थे । ऐसा क्यों किया गया था, यह अपीलार्थियों के परिवार और मृतक के परिवार के बीच घोर दुश्मनी के कारण किया गया स्पष्ट होता है, जो कि सभी तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा स्वीकार किया गया है । (पैरा 15)

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि एक-दूसरे के विरुद्ध मामले और विरोधी मामले लंबित थे । इस पृष्ठभूमि में, यह स्वाभाविक था कि अपीलार्थियों को शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) के कहने पर घटना में आलिप्त किया गया होगा, जो उसने स्वयं नहीं देखी थी और न ही यह शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) द्वारा देखी गई थी । सम्पूर्ण अन्वेषण पूर्ण रूप से गढ़ा हुआ है और अपीलार्थियों को इत्तिला देने वाले, शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) और अन्वेषक अधिकारी, हलेश्वर प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-15) की सामूहिक रिष्टि के आधार पर मामले में आलिप्त किया गया है । (पैरा 16)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [1998] | ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1376 = (1998) 9 एस. सी. सी. 605 : **जार्ज** बनाम **केरल राज्य;** | 13 |
| [1992] | ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1994 = (1992) 3 सप्ली.एस. सी. सी. 1 = 1992 क्रिमिनल ला जर्नल 3592 (एस.सी.) : **कुलदीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य;** | 13 |
| [1991] | ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1853 = [1991] 3 एस. सी. आर. 1 = (1991) 3 एस. सी. सी. 627 : **खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य;** | 13 |

[1978] ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1558 = [1978] 3 एस. सी. आर. 59 :
**रामेश्वर दयाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य;** 13

[1975] ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1252 = [1975] सप्ली. एस. सी. आर. 84 = (1975) 4 एस. सी. सी. 153 :
**पोद्दा नारायण** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य।** 13

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1998 की दांडिक अपील सं. 740.**

पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1988 की दांडिक अपील सं. 241 में तारीख 5.5.1998 को दिए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से** सर्वश्री यू. आर. ललित (ज्येष्ठ अधिवक्ता), चन्द्र भूषण प्रसाद, रणजी कुमार

**प्रत्यर्थी की ओर से** सर्वश्री बी. बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद ने दिया ।

**न्या. अहमद**— शत्रुता निस्संदेह, दोधारा हथियार है; यह अपराध करने के लिए हेतु हो सकता है और दूसरे यह मिथ्या से आलिप्त करने के लिए भी हेतु हो सकता है । जैसा कि वर्तमान मामले में है; शत्रुता न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ठीक (सही) नहीं की जा सकती । वर्तमान मामले में जैसा कि हम देखते हैं अपराध करने के लिए कोई आधार नहीं है।

2. अपीलार्थियों को शम्भू राय की तारीख 2 जून, 1984 को धमायूं चौड़ ग्राम, गढ चाक सीमा, पुलिस थाना पटोरी, जिला समस्तीपुर में हत्या करने के लिए दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34 के अधीन अपराधों के लिए आरोपित और विचारण किया गया था । एक अपीलार्थी प्रदीप राय को, इसके अतिरिक्त अपने सह-अपीलार्थियों, सुरेश राय और जितेन्द्र प्रसाद को शम्भू राय की हत्या करने के लिए निदेश देने के द्वारा अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड संहिता, 1860 की धारा 109/302 के अधीन आरोपित किया गया था । अपीलार्थी सुरेश राय को देशी पिस्टल, जिससे उसने शम्भू राय पर दो बार गोली चलाई थी, का कब्जा रखने के लिए आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी आरोपित किया गया था । अपीलार्थियों को उपर्युक्त अपराधों के लिए द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, समस्तीपुर ने तारीख 15.4.1988 को पारित किए गए निर्णय और आदेश द्वारा दोषसिद्ध किया था और दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34 के अधीन अपराधों के लिए आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया था किंतु प्रदीप राय के विरुद्ध दंड संहिता, 1860 की धारा 109/302 के अधीन या सुरेश राय के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन कोई पृथक् दंडादेश पारित नहीं किया गया था । उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील तारीख 5 मई, 1998 को खारिज की गई थी । इसलिए यह अपील फाइल की गई है ।

3. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णन किया गया अभियोजन पक्षकथन यह है कि तारीख 2 जून, 1984 को पूर्वाह्न लगभग 5.30 बजे, शिवदेव राय (इत्तिला देने वाला - अभियोजन साक्षी-10) शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और राम नारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) और शम्भू राय (मृतक) के साथ धमायूं चौड़ घास काटने गए थे और जब उन्होंने लगभग आधे घंटे तक घास काट ली थी तो वहां अपीलार्थी सुरेश राय, (पिस्टल से सशस्त्र), उसका पिता प्रदीप राय (कटार से सशस्त्र) और उसका चचेरा भाई जितेन्द्र प्रसाद राय **उर्फ** जयंत्री राय (कटार से सशस्त्र) आए थे । उनमें से प्रदीप राय, जो सुरेश राय का पिता था, ने अन्यों अर्थात् शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और राम नारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) से वहां से चले जाने को कहा क्योंकि वे शम्भू राय की हत्या करने आए थे । ये व्यक्ति

तब वहां से कुछ कदम दूर चले गए थे और तब अपने पिता प्रदीप राय के उकसाने पर सुरेश राय ने शम्भू राय पर दो गोलियां चलाई थीं जिस पर शम्भू राय नीचे गिर गया और तत्पश्चात् प्रदीप राय और जितेन्द्र प्रसाद राय ने मृतक पर कटार (छुरा) से आघात किए थे जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी । यह वर्णन विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा, साबित हुआ अभिनिर्धारित किया गया है ।

4. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित हुए विद्वान ज्येष्ठ काउंसेल श्री यू. आर. ललित ने यह दलील दी है कि तीन साक्षियों यथा शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और राम नारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) जिन्हें प्रश्नगत घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वास्तव में घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे और उन्होंने घटना को नहीं देखा था जो पूर्व रात्रि को किसी समय घटित हुई थी और न कि पूर्वाह्न (प्रात:काल) 5.30 बजे जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया गया है । यह दलील दी गई है कि एक ओर अपीलार्थियों और उसके परिवार के सदस्यों और दूसरी ओर मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के बीच घोर शत्रुता थी । शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और राम नारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) आपस में संबंधी होने के अलावा मृतक के भी निकट संबंधी थे । स्वीकृतत: उनके अपीलार्थियों से वैर संबंध थे । अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल ने अन्वेषण पर भी आक्षेप किया है, जो उनके अनुसार पूर्णतया गढ़ा गया था और मृतक के परिवार से शत्रुता होने का फायदा उठाते हुए परिवादी के कहने पर पुलिस ने उन्हें इस मामले में फंसाया था ।

5. क्या सही है और क्या सही नहीं है यह विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथनों सहित अभिलेख पर प्रस्तुत की गई समस्त सामग्री से उद्‌भूत हुए मामले की समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए विनिश्चय किया जाना है । अभियोजन वर्णन का यदि विश्लेषण किया जाए तो यह निम्न इंगित करता है :—

"(1) घटना पूर्वाह्न 6.30 पर घटित हुई थी ।

(2) धमायूं चौड़ पर स्थित मैदान वह स्थान था जहां घटना घटित हुई थी ।

(3) शम्भू राय पर सुरेश राय ने पिस्टल से दो बार गोलियां चलाई थीं और तत्पश्चात् उस पर प्रदीप राय और जितेन्द्र प्रसाद राय नामक अपीलार्थियों ने कटार (छुरा) से आघात किए थे ।

(4) शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और राम नारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) घटनास्थल पर थे और उन्होंने घटना को देखा था ।

(5) घटनास्थल पर मृतक और साक्षियों की उपस्थिति घास के ढेरों से साक्ष्यित है जो उन्होंने काटी थी और बोरों में भरी थी । खुर्पियां जिससे उन्होंने घास काटी थी और घास भी घटनास्थल पर उनके साथ थी ।"

6. शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) ने घटना की सूचना पुलिस थाना पटोरी को दी थी जहां वह पूर्वाह्न 7.00 बजे पहुंचा था । घटनास्थल से दूरी 5 कि.मी. थी । उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया कि वह पुलिस निरीक्षक (अभियोजन साक्षी-15) से मिला था और उसे पूरी घटना बताई थी । उसने मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित कथन किया:—

"घटना के पश्चात्, मैं पुलिस निरीक्षक के पास पूर्वाह्न 7.00 बजे गया था और उन्हें सूचना दी थी ।"

प्रति-परीक्षा में उसने इन तथ्यों को दोहराया और निम्नलिखित कथन किया :—

"घटना के दिन, मैं पटोरी पुलिस थाने पूर्वाह्न लगभग 7.00 बजे गया था । मैं पैदल ही पुलिस थाने गया था। मेरे साथ कोई नहीं था । मैं पुलिस निरीक्षक से मिला था । मैं उनसे सीधा मिला था और बताया था कि हत्या की गई थी, इसलिए कृपया वहां जाएं.................तब मैं अकेला वापस लौटा था ।"

किंतु पुलिस निरीक्षक हलेश्वर प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-15) जो तारीख 2.6.1984 को पुलिस थाना, पटोरी का थाना भारसाधक अधिकारी था और मामले के अन्वेषण का मुख्य भाग किया था, ने निम्नलिखित कथन किया :—

"तारीख 2.6.1984 को मैं पुलिस थाना, पटोरी के भारसाधक अधिकारी के रूप में तैनात था । मुझे यह जानकारी मिली थी कि धमायूं चौड़ में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है । मैंने उपर्युक्त सूचना रजिस्ट्रीकृत की थी और सहायक उप-निरीक्षक महेश प्रसाद सिंह और कांस्टेबल राम लोकित सिंह के साथ धमायूं चौड़ गया था ।"

इसके अतिरिक्त उसने निम्न कथन किया :—

"घटना के दिन, शिवदेव राय ने पुलिस थाने पर कोई सूचना नहीं दी थी । यहां तक कि वह मुझसे नहीं मिला था । उस दिन मैं पूर्वाह्न 9.30 बजे से पूर्व उससे नहीं मिला था................। पूर्वाह्न 8.15 बजे मुझे घटना की बाबत औपचारिक सूचना मिली थी । यह तथ्य केस डायरी में वर्णन नहीं किया गया था कि किसने सूचना दी थी । यहां तक कि मैं उसका नाम नहीं जानता । व्यक्ति जिसने सूचना दी थी, उसने हमलावर का नाम नहीं बताया था ।"

7. इसलिए हलेश्वर प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-15) ने शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) का सीधे और प्रभावी रूप से खण्डन किया है जहां तक अभियोजन साक्षी-10 का यह कथन है कि वह पुलिस थाने पर पूर्वाह्न 7.00 बजे गया था और पुलिस निरीक्षक को मामले की सूचना दी थी जबकि पुलिस निरीक्षक जिसने बाद में मामले का अन्वेषण किया था, ने यह कथन किया था कि अभियोजन साक्षी-10, पुलिस थाने पर नहीं आया था और न ही वह उससे वहां पर मिला था । किंतु इसलिए जो कुछ निश्चित है वह यह है कि अन्वेषक अधिकारी ने पुलिस थाने पर सूचना प्राप्त की थी कि किसी की धमायूं चौड़ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । यह सूचना अन्वेषक अधिकारी ने सामान्य डायरी में अभिलिखित की थी जिसकी प्रति दुर्भाग्यवश विचारण में प्रस्तुत नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अन्वेषक अधिकारी ने अपने कथन में यह कथन किया है कि यह तथ्य कि किसने सूचना दी थी, केस डायरी में वर्णन नहीं किया गया है । अन्वेषक अधिकारी ने उसके नाम के संबंध में अपनी जानकारी न होने का अभिवाक् किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह स्वीकार किया कि व्यक्ति जिसने सूचना दी थी, उसने हमलावर का नाम नहीं बताया था । जो कुछ और निश्चित है वह यह है कि यद्यपि अपराध के किए जाने की सूचना अन्वेषक अधिकारी द्वारा पूर्वाह्न 8.15 बजे दी गई थी, हमलावर का नाम स्पष्ट नहीं किया गया था । यदि अन्वेषक अधिकारी के इस कथन की शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) के कथन को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है कि वह पुलिस थाने पर पूर्वाह्न 7.00 बजे गया था और अन्वेषक अधिकारी से मिला था और उसे मृतक शम्भू राय की हत्या के संबंध में सूचना दी थी, तो यह स्पष्ट होगा कि उस समय हमलावर का नाम प्रकट नहीं किया गया था । इसी भांति, अभियोजन साक्षी-10, भी हमलावर का नाम नहीं जानता था और इसलिए वह पुलिस थाने पर अन्वेषक अधिकारी को नाम बताने की स्थिति में नहीं रहा होगा । यह अभिलेख पर के साक्ष्य की अतिरिक्त रूप से संवीक्षा किए जाने पर स्पष्ट होता है जो यह इंगित करता है कि शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) उस संबंध में शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण (अभियोजन साक्षी-17) घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे ।

8. तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों — शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) ने यह कथन किया है कि वे मृतक के साथ घास काटने के लिए धमायूं चौड़ गए थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह कथन किया कि उनके पास "खुर्पियां" थीं और उन्होंने लगभग आधे घंटे तक घास काटी थी । शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) ने इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कथन किया :—

"उस दिन लगभग आधा घंटा तक हमने घास इकट्ठा की थी । हमने पांच धुरों में घास इकट्ठा की थी । शेष तीनों ने कितनी घास एकत्रित की, मैं नहीं जानता । वे बार-बार घास एकत्रित कर रहे थे । वह खेत केशू राय

का है.............। हमने जो कुछ भी घास काटी थी वह हमने अपनी-अपनी बोरियों में रखी थी । यह गर्मी का मौसम था । इसलिए हमने अपनी घास को बोरियों में रखा था और पुन: घास काटना प्रारंभ कर दिया था ।"

इसके अतिरिक्त उसने निम्नलिखित कथन किया :—

"मैंने पुलिस निरीक्षक को खेत दिखाया था, जिससे मैंने घास काटी थी । अन्य तीन व्यक्तियों जिन्होंने घास काटी थी, इसे पुलिस निरीक्षक को दिखाया था । पुलिस निरीक्षक को सूचित करने के पश्चात् जब मैं घटनास्थल पर वापस आया, तो वहां पर अनेक व्यक्ति एकत्रित पाए..........। उस समय खुर्पी और बोरियां वहां पर थीं या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम ।"

9. इसी भांति, शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) ने भी यह कथन किया था कि वे घास काटने के लिए मैदान में गए थे । रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) ने यह सकारात्मक कथन किया है कि उसने "खुर्पी", "चिट्टा" और घास दिखाई थी जो कि काटी गई थी । तब उसने यह कथन किया कि उसे स्मरण नहीं है । इसके अतिरिक्त उसने यह कथन किया कि जमीन का वह भाग जहां से घास काटी गई थी, पुलिस निरीक्षक को दिखाया गया था ।

10. इस प्रकार, घटनास्थल पर इन तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की उपस्थिति, घास जो उनके द्वारा घटना से घटित होने से पूर्व काटी गई थी और बोरियों में रखी गई थी, के आधार पर उचित है । यदि यह सत्य नही है कि वे घटनास्थल पर उपस्थित थे और घास काटी थी, तो वह भूमि जहां से घास काटी गई थी, आंखों को स्पष्टतया दिखाई देगा । "खुर्पियां" और बोरियां जिसमें घास एकत्रित की गई थी वहां पर उपलब्ध रहें होंगे । किंतु अन्वेषक अधिकारी, जिसने घटनास्थल देखा था, ने यह कथन किया कि शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) ने न तो उन्हें वह "बोरा" दिखाया था जिसमें घास थी और न ही वह स्थान दिखाया था जहां से घास काटी गई थी । इसके अतिरिक्त उसने यह कथन किया कि उसने 5 धुर के क्षेत्र में काटी गई घास नहीं देखी थी । इसके अतिरिक्त उसने यह कथन किया कि उसने घटनास्थल पर "खुर्पी" नहीं पाई थी । तथापि उसने यह कहने के द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि बड़ी मात्रा में रक्त सम्पूर्ण खेत पर फैला हुआ था और इसलिए, यह स्पष्ट नहीं था कि क्या घास काटी गई थी या नहीं । यह स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि रक्त, खेत से घास काटे जाने के साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा । यदि घास वास्तव में काटी गई थी, उनके द्वारा पृथक रूप से अपनी और बोरियों में रखी गई थी जैसा कि शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) ने और शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) ने कथन किया है, और "खुर्पियां" घास काटने के लिए उपयोग में लाई गई थी, तब अन्वेषक अधिकारी, जिसने अपराध के कारित किए जाने की बाबत सूचना मिलने पर घटनास्थल का दौरा किया था, ने भूमि के उस भाग को अवश्य देखा होगा जिस भाग से घास काटी गई थी और बोरियां और खुर्पियां भी अवश्य पाई होगीं ।

11. ये परिस्थितियां स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि घास काटी नहीं गई थी और न ही यह बोरियों में भरी गई थी और इसलिए कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी यथा, शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) घटनास्थल पर उस समय उपस्थित नहीं था जब शम्भू राय की हत्या की गई थी । इस पृष्ठभूमि में, शिव चंदर राय (अभियोजन साक्षी-2) का कथन, अत्यंत सुसंगत हो जाता है । उसने यह कथन किया है कि घटना, पूर्वाह्न लगभग 4.30 बजे घटित हुई थी और उस समय, वह अपने घर में मौजूद था और यह शोर सुना था कि शम्भू राय की हत्या कर दी गई थी । शोर सुनकर वह बाहर गया था और अपने मकान से लगभग आधा कि.मी. की दूरी पर पाया कि शम्भू राय मृत पड़ा हुआ था । उसने उसकी गर्दन कटी हुई पाई थी । उसने प्रति-परीक्षा में यह कथन किया कि शव से रक्त नहीं बह रहा था और उसने बहना बंद कर दिया था । इसके अतिरिक्त उसने कथन किया कि यह उसकी जानकारी में नहीं था कि किस प्रकार शम्भू राय की मृत्यु हुई थी । यह साक्षी यद्यपि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, ऐसा होने पर भी अभियोजन साक्षी है । यह प्रतीत होता है कि उसे घटनास्थल निश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, किंतु इस प्रक्रिया में, उसने समय बदलकर, पूर्वाह्न 6.30 के स्थान पर पूर्वाह्न 4.30 बजे कर दिया, जिस समय घटना घटित हुई थी ।

12. यद्यपि, हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था या घटना नहीं देखी थी, हम घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की उपस्थिति के संबंध में श्री यू. आर. ललित द्वारा की गई एक अन्य दलील पर चर्चा करेंगे ।

13. अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल श्री यू. आर. ललित ने यह दलील दी कि तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों यथा, श्योदेव राय (अभियोजन साक्षी-10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय अभियोजन साक्षी-17) की घटनास्थल पर उपस्थिति इस कारण से संदेहमय है कि यद्यपि उनमें से दो यथा शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) मृत्यु-समीक्षा के साक्षी हैं, उन्होंने मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु का कारण वर्णन करते समय हमलावरों के नाम कथन नहीं किए थे । यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 के साथ पठित धारा 178 के अधीन मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट प्रथमदृष्टया क्षतियों की प्रकृति का पता लगाने के लिए और उन क्षतियों को कारित करने के लिए प्रयुक्त संभाव्य हथियार और इसी भांति मृत्यु के संभाव्य कारण का पता लगाने के लिए अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है । **पोद्दा नारायण** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त की पहचान, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 के अधीन तैयार की गई, मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट की परिधि के बाहर है । **जार्ज** बनाम **केरल राज्य**[2] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्वेषक अधिकारी मृत्यु-समीक्षा के प्रक्रम पर यह अन्वेषण करने या सुनिश्चित करने को बाध्यताधीन नहीं है कि हमलावर कौन थे । इस न्यायालय ने निरंतर रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट अधिष्ठायी साक्ष्य के रूप में नहीं मानी जा सकती अपितु मृत्यु–समीक्षा के साक्षी का खण्डन करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है (देखिए, **रामेश्वर दयाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[3] **खुज्जी** उर्फ **सुरेन्द्र तिवारी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[4] और **कुलदीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[5] वाले मामले ।

14. अपीलार्थी जो संख्या में तीन हैं, शम्भू राय की हत्या करने के लिए घटनास्थल पर गए थे जो अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अपने तीन निकट संबंधियों यथा शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी- 17) के साथ घास काट रहा था । अपीलार्थियों ने घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् जोर से चिल्लाया था कि वे शम्भू राय की हत्या करेंगे । इस प्रक्रम पर सभी चारों ने हमलावरों के साथ झगड़े में अपने को वास्तव में सम्मिलित किए बिना तुरंत ही प्रतिक्रिया की होगी और शम्भू राय को बचाने का प्रयत्न किया होगा । इन तीन व्यक्तियों, जिन्होंने अपने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया है, के शरीर पर क्षतियों का अभाव तीनों द्वारा यह कहते हुए स्पष्ट किया गया है कि हमलावरों ने यह कहा था कि वे शम्भू राय की हत्या करने को आए थे जिससे कि अवध राम के परिवार को समाप्त किया जा सके । शेष व्यक्तियों, यथा शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी- 10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) शम्भू राय को अकेला छोड़कर चले गए थे, जिसे सुरेश राय द्वारा गोली मारी गई थी और तब उसके सह-अपीलार्थियों द्वारा छुरे से आघात किए गए थे । यह अविश्वसनीय है कि तीन व्यक्ति जो मृतक के साथ घास काट रहे थे, चुपचाप वहां से चले जाएंगे, जिससे कि अपीलार्थियों द्वारा शम्भू राय की हत्या करना आसान हो सके । उनका आचरण अप्राकृतिक है ।

15. इसलिए मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि शम्भू राय की हत्या की सूचना पुलिस को तारीख 2.6.1984 को पूर्वाह्न 7.00 बजे दी गई थी जो सामान्य डायरी में भी दर्ज किया गया था और यह इस रिपोर्ट के आधार पर था कि अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल की ओर गया था जहां उसने शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी- 10), शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) की घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थिति का कोई साक्ष्य नहीं पाया था क्योंकि "खुर्पियां" या बोरियों में काटी हुई घास का इकट्ठा किया जाना घटनास्थल पर उनकी विद्यमानता द्वारा साक्ष्यित नहीं था । मृत्यु समीक्षा करने और मृत्यु– समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने, शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) का कथन अभिलिखित किया था और उस कथन में

[1] ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1252 = [1975] सप्ली. एस. सी. आर. 84 = (1975) 4 एस. सी. सी. 153.
[2] (1998) 9 एस. सी. सी. 605 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1376.
[3] ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1558 = (1978) 3 एस. सी. आर. 59 = (1978) 2 एस. सी. सी. 518.
[4] ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1853 = (1991) 3 एस. सी. आर. 1 = (1991) 3 एस. सी. सी. 627.
[5] ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1944 = (1992) सप्ली. 3 एस. सी. सी. 1 = 1992 क्रिमिनल ला जर्नल 3592 (एस.सी.).

अपीलार्थियों के नाम सम्मिलित किए गए थे । ऐसा क्यों किया गया था, यह अपीलार्थियों के परिवार और मृतक के परिवार के बीच घोर दुश्मनी के कारण किया गया स्पष्ट होता है, जो कि सभी तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा स्वीकार किया गया है । शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) के कथन का सुसंगत भाग जो पक्षकारों के बीच की दुश्मनी की विद्यमानता को इंगित करता है नीचे दिया गया है :—

"7. हरीहर राय मेरे बाबा है । उनके चार पुत्र थे । वे अवध राय, राम नंदन राय, लीलू राय और रामनारायण राय हैं । शम्भू राय, अवध राय का पुत्र है । रामनंदन राय के तीन पुत्र थे जिनमें मैं बड़ा हूं और शेष मेरे भाई हैं । वे राम नरेश राय और राम सुरेश राय हैं । लीलू राय के तीन पुत्र हैं जिनमें शत्रुघन राय बड़ा है, दूसरा बैज राय है और तीसरा, मथुरी राय है । इस मामले में, मैं स्वयं, शत्रुघन और रामनारायण हैं । शत्रुघन मेरा सौतेला भाई है और रामनारायण मेरा चाचा है । मैं इस मामले में शत्रुघन का साक्षी के रूप में कथन अभिलिखित कराऊंगा । वह घर में उपस्थित नहीं है । मैं नहीं जानता इस समय वह कहां पर है । मैं इस संबंध में नहीं कह सकता कि क्या उसके विरुद्ध कोई बलात्संग का मामला है और वह फरार है।"

8. मेरा चाचा रामनारायण राय समस्तीपुर जेल में बंद है ।

9. मैं रामसूरत राय के पुत्र जगदीप राय को जानता हूं जो मेरे पड़ोसी हैं । जगदीप ने हम लोगों के विरुद्ध मिथ्या मामला फाइल किया है । यह मामला इस मामले से पहले का है । मैं नहीं जानता कि जगदीप द्वारा फाइल किए गए मामले में हम कितने प्रतिवादी हैं । किंतु इस मामले के साक्षी उस मामले में प्रतिवादी हैं । उस मामले में आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और यह न्यायालय के समक्ष लंबित है । जगदीप राय यहां उपस्थित है । वह लंगड़ा है । वह ठीक प्रकार चल नहीं सकता । उसका पुत्र जयंत्री राय इस मामले में प्रतिवादी है ।

अभियुक्त प्रदीप राय ने मेरे विरुद्ध और साक्षी रामनारायण के विरुद्ध इस मामले के पहले एक मामला फाइल किया था । वर्तमान मामले में, प्रदीप राय और उसका पुत्र सुरेश राय प्रतिवादी हैं ।

10. इस मामले का साक्षी, शत्रुघन राय का सगा भाई है । बैज नाथ राय ने प्रतिवादियों प्रदीप राय, सुरेश राय और जयंत्री राय के विरुद्ध इस मामले के पूर्व मामला फाइल किया था । मेरे चाचा रामनारायण राय ने इन प्रतिवादियों के विरुद्ध मामला फाइल किया था । रामनारायण इस मामले में साक्षी है ।

16. उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि एक-दूसरे के विरुद्ध मामले और विरोधी मामले लंबित थे । इस पृष्ठभूमि में, यह स्वाभाविक था कि अपीलार्थियों को शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी- 10) के कहने पर घटना में आलिप्त किया गया होगा, जो उसने स्वयं नहीं देखी थी और न ही यह शत्रुघन राय (अभियोजन साक्षी-16) और रामनारायण राय (अभियोजन साक्षी-17) द्वारा देखी गई थी । सम्पूर्ण अन्वेषण पूर्ण रूप से गढ़ा हुआ है और अपीलार्थियों को इत्तिला देने वाले, शिवदेव राय (अभियोजन साक्षी-10) और अन्वेषक अधिकारी, हलेश्वर प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-15) की सामूहिक रिष्टि के आधार पर मामले में आलिप्त किया गया है ।

17. इन कारणों से, अपील हमारे तारीख 15.3.2000 के संक्षिप्त आदेश द्वारा मंजूर की गई थी ।

अनु.—

अपील मंजूर की गई ।